राजकीय महाविद्यालय सलूणी तहसील सलूणी जिला चम्बा हि.प्र के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018

भाग-एक

1. **(i) प्रस्तावना** :- अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्नलिखित प्रधानाचार्य द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया :-

क्रम सं	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	डॉ अमरजीत कुमार शर्मा	03-04-2013 से 18-06-2014
2.	श्री परविन्द्र कुमार (officiating)	19-06-2014 से 15-07-2015
3.	श्री पुष्पेन्द्र चौहान	16-07-2015 से 29-02-2016
4.	श्री परविन्द्र कुमार(officiating)	01-03-2016 से लगातार

(ii) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं0	पैरा सं 0	विवरण	₹ लाखों में
1.	5	रैड क्रास निधि के रूप में अनाधिकृत एकत्रीकरण	0.04
2.	8	भूगोल प्रैक्टिकल निधि की वसूली न करना।	0.28
3.	9	कम्प्यूटर एवं इन्टरनैट निधि की कम वसूली करना।	0.01
4.	11	रूसा अनुदान के खाते में अनुचित रूप से अधिक राशि हस्तांतरित करना।	0.90

(iii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट " क "** पर दिया गया है।

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

राजकीय महाविद्यालय सलूणी के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018 जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेद में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23-08-2018 से 31-08-2018 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 06/13, 07/14, 06/15, 07/16 व 07/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/13 , 06/14, 03/16, 06/16 व 11/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार कि गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इंकार करता है।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

महाविद्यालय के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरणानुसार ₹40000 बनता है।

वर्ष	**वर्ष में प्राप्त आय**	**अंकेक्षण शुल्क (₹)**
2013-14	246239	8000
2014-15	708498	8000
2015-16	431507	8000
2016-17	486454	8000
2017-18	538335	8000
	कुल जोड़	**₹ 40000**

उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 242 दिनांक 28-08-18 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को प्रधानाचार्य द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 061678 दिनांक 18-09-18 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को भेज दिया है।

4 **वितीय स्थिति:-**

राजकीय महाविद्यालय सलूणी द्वारा प्रस्तुत अवधि 04/13 से 03/18 के निधि लेखों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति का अन्त शेष सहित विवरण **परिशिष्ट "ख"(पृष्ठ-1,2)** पर वर्णित है।

5 **जूनियर रेड क्रॉस निधि के रूप में₹0.04 लाख की अनाधिकृत एकत्रीकरण:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से जूनियर रेड क्रॉस निधि के रूप में वर्ष 2013-14 में ₹6 की दर से व वर्ष 2017-18 में ₹10 की दर से वसूली की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशक के पत्र सं :ई०डी०एन०-एच (21)ए(3)20/2010-वी.दिनांक 03-06-2010 में वर्णित निधियों में जूनियर रेड क्रॉस निधि शामिल नहीं है गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सं 3(ड.)में भी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति जताई गई थी परन्तु फिर भी अनाधिकृत रूप से उक्त निधि का एकत्रीकरण विद्यार्थियों से किया जा रहा है जो की गंभीर मामला है। मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में लाया जाता है। अत: इस निधि के एकत्रीकरण का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया।

वर्ष	**छात्र सं0**	**वसूली दर**	**कुल राशि**
2013-14	210	6/- वार्षिक	1260
2017-18	248	10/- वार्षिक	2480
		कुल जोड़	**₹3740**

6 **सावधि जमा में निवेश न करने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 31-03-18 को विभिन्न निधियों में निम्न विवरणानुसार लगभग 15 लाख से अधिक की राशि शेष थी जोकि बैंक के बचत खातों में जमा थी। यदि इस राशि में से कुछ राशि सावधि जमा योजना में निवेशित की जाती तो ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होती। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना सं: 243 दिनांक 30-08-18

द्वारा संस्था अध्यक्ष को अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रख कर सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके।

क्रम सं0	**निधि का नाम**	**खाता सं0**	**31-03-18 को शेष (₹)**
1.	मिश्रित व अन्य निधि	18910104410	1047613
2.	रोवर एंड रेंजर निधि	18910104411	103377
3.	पुस्तकालय जमानत व अन्य निधि	18910105285	291946
4.	जुर्माना निधि	18910104251	67071
5.		**कुल जोड़**	**₹1510007**

7 रसीद बुकों का नियमानुसार अभिलेख न करना तथा रसीदों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से छात्र निधियों के एकत्रीकरण के लिए जो रसीद बुकें प्रयोग की गई थी उनका भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही इनको जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसके आभाव में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुकें छपवाई गई ,कितनी रसीद बुकें जारी की गई थी और कितनी रसीद बुकें शेष है। अत: रसीद बुकों का उचित प्रकार से अभिलेख रखने हेतु रसीद बुकों को भण्डार रजिस्टर में लेने के पश्चात ही सम्बन्धित कर्मचारी को जारी करना सुनिश्चित किया जाए। महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों के अनुसार अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों में जिन रसीद बुकों द्वारा छात्र निधियों की राशि एकत्रित की गई थी उनका विवरण इस प्रकार से है :-

वर्ष	**रसीद सं0**
2013-14	862 से 983 व 1001 से
2014-15	1272 से 1491
2015-16	1689 से 1872

2016-17	2052 से 2255
2017-18	2454 से 2704

8 भूगोल प्रेक्टिकल निधि की ₹0.28 लाख की वसूली न करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अवधि 04/14 से 03/18 के दौरान भूगोल शास्त्र के विद्यार्थियों से निम्न विवरणानुसार ₹27540 प्रेक्टिकल निधि की वसूली नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशक के पत्र सं :ई०डी०एन०-एच (21)ए(3)20/2010-वी.दिनांक 03-06-2010 के अनुसार उक्त निधि के लिए सम्बन्धित छात्र से ₹15 मासिक दर से वसूलने अपेक्षित थे । उक्त अनियमितता की सूचना महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अंकेक्षण अधियाचना सं: 244 दिनांक 30-08-18 द्वारा दी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई :-

वर्ष	**सम्बन्धित विषय की छात्र सं**	**दर (मासिक) (₹)**	**वसूली योग्य निधि (₹)**
2014-15	37	15/-	6660
2015-16	38	यथोपरि	6840
2016-17	34	यथोपरि	6120
2017-18	44	यथोपरि	7920
		कुल जोड़	**₹27540**

9 कम्प्यूटर एवं इन्टरनैट निधि की ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित विवरणानुसार कम्प्यूटर एवं इन्टरनैट निधि के ₹1320/- कम वसूले गए। ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्रवाई करते हुए उक्त कम वसूली राशि को रसीद सं:3375 दिनांक 31-08-18 द्वारा सम्बन्धित निधि में जमा कर दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है भविष्य में नियमानुसार निधियों की वसूली की जाए व इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

वर्ष	**विद्यार्थियों की सं0**	**दर (₹)**	**वसूली योग्य राशि (₹)**	**वसूली गई राशि (₹)**	**कम वसूली गई राशि (₹)**
2013-14	210	20 वार्षिक	4200	2880	1320

10 बिल/वाउचरों को पारित किए बिना भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि मिश्रित निधि से किए गए निम्नलिखित व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचरों को प्रधानाचार्य द्वारा पारित किये बिना भुगतान किया गया जिसके अभाव में किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अत: बिल/वाउचरों को पारित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अब इन बिल /वाउचरों को प्रधानाचार्य से पारित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

बिल न.	**माह**	**फर्म का नाम**	**राशि (₹)**	**विवरण**
2040	10/13	मै० पलाह जनरल स्टोर सलूणी	1800	10 रिम
32	11/13	मै० साइंस हाउस, चम्बा	17600	2 स्टील अलमारी

11 रूसा अनुदान के खाते में ₹0.90 लाख अनुचित रूप से अधिक हस्तांतरित करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 09-09-14 को 125000 दिनांक 21-10-14 को ₹2250000 व दिनांक 26-02-16 को ₹20000 कुल ₹2395000 (₹125000+₹2250000+₹20000) की राशि रूसा अनुदान के रूप में महाविद्यालय को प्राप्त हुए व इस अनुदान का बैंक खाता न होने के कारण महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इन राशियों को जुर्माना निधि के खाता सं 0 18910104251 में जमा करवाया गया। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जब रूसा अनुदान का बैंक खाता खोला गया तब दिनांक 15-03-16 को ₹2465000 व दिनांक 17-09-16 को ₹20000 कुल ₹2485000 (₹2465000+₹20000) की राशि रूसा अनुदान के हि0प्र0 स्टेट कोपरेटिव बैंक के खाता सं 18910112310 में हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार महाविद्यालय प्रशासन द्वारा ₹90000 (₹2485000-₹2395000) की राशि रूसा अनुदान खाते में अधिक हस्तांतरित कर दिए गए जोकि उचित नहीं था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹90000 की राशि को रूसा अनुदान खाते से जुर्माना निधि के खाते में वापिस हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

12 अखवार की रददी की नीलामी न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पुस्तकालय निधि से विभिन्न सात अखवारों की खरीद दैनिक रूप से की गई है परन्तु अखवार की रददी की नीलामी पांच वर्षो में एक बार भी नहीं की गई है। अत:अखवार रददी की नीलामी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अतिशीघ्र रददी की नीलामी करके इससे प्राप्त आय को मिश्रित निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

13 रोकड़ बही का सत्यापन न करना :-

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित निधियों की रोकड़ बहियों को नियमानुसार प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्राप्त आय व किए गए व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: रोकड़ बही को सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अब इन रोकड़ बहियों को सम्बन्धित प्रधानाचार्य से सत्यापित करवा कर अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही/निधि का नाम	**अवधि**
मिश्रित निधि	04/13 से 06/14 व 07/15 से 02/16
रोवर एंड रेंजर निधि	यथोपरि
पुस्तकालय व यूनिवर्सिटी निधि	यथोपरि

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान के छात्र कल्याण निधि खाते में से क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना अंकेक्षण अवधि के दौरान नहीं करवाई गई जबकि हिमांचल प्रदेश वित नियम 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत स्टॉक में पडे सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित थी। अत: नियमो की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवा कर कार्यवाही से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

15 लघु- आपत्ति विवरणिका:- यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्ष: - लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच (2) सी(15) XI (xi) 126/13 खण्ड–1–8522–8524 दिनांक 29.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, (उच्चत्तर शिक्षा) शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171001

2 अवर सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 सरकार, शिमला–171002

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पैरा 1(iii) के सन्दर्भ में परिशिष्ट “क”

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/2006 से 03/2013

क्र०स०	पैरा सं	पैरेकी स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	
1.	पैरा-3(ग)	अनिर्णीत	खाता सं 18910104251 की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति तैयार न करना।	------------
2.	पैरा-3(घ)	अनिर्णीत	वर्गीकृत रोकड़ बही(classified cash book)तैयार न करना।	------------
3.	पैरा-3(ङ.)	अनिर्णीत	J.R.C निधि के रूप में अनाधिकृत एकत्रीकरण।	------------
4.	पैरा-4	अनिर्णीत	रसीद बुकों का नियमानुसार अभिलेख न करना तथा रसीदों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना।	------------
5.	पैरा-5	अनिर्णीत	फीस व निधि प्राप्ति रजिस्टर को प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित न करना।	------------
6.	पैरा-6	निर्णीत	वर्ष 2006-07 में विद्यार्थियों से वार्षिक रूप से एकत्रित किए जाने वाले फण्डों की ₹6120 की वसूली न करना।	रसीद सं 3372 दिनांक 30-08-18 द्वारा ₹6120 की वसूली कर ली गई है।
7.	पैरा-7	अनिर्णीत	खेल निधि के रूप में ₹65880 की कम वसूली करना।	-----------
8.	पैरा-8	निर्णित	कम्प्यूटर एवं इन्टरनैट निधि की ₹7320 की वसूली न करना।	रसीद सं 1270 व 1271 दिनांक 15-06-14 द्वारा ₹7320 की वसूली कर ली गई है।
9.	पैरा-9	निर्णित	जियोग्राफी निधि के रूप में `₹1360 की कम वसूली करना।	पैरा अनुसार
10.	पैरा-10	निर्णित	हाजिरी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे।	कार्यवाही देख ली गई है।
11.	पैरा-11	निर्णित	जुर्माना निधि की वसूली हेतु नियमानुसार रजिस्टर न तैयार करना तथा जुर्माना निधि के रूप में वसूली गई ₹1923 को जमा न करवाना।	रसीद सं 3373 दिनांक 30-08-18 द्वारा वसूली कर ली गई है व कार्यवाही देख ली है।
12.	पैरा-12	निर्णित	लाइबरेरी सिक्यूरिटी निधि से 26880/-का कम्प्यूटर क्रय करने बारे।	स्वीकृति पत्र:EDN-H(4)3(C)-02/16 -17दिनांक31-08-18 द्वारा
13.	पैरा-13	निर्णित	बिना निविदाएँ आमंत्रित किए 5712 के प्रॉस्पेक्टस छपवाने बारे।	यथोपरि
14.	पैरा-14	निर्णित	स्टॉक प्रविष्टियाँ करना।	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ-45 पर कर ली गई है।
15	पैरा-15	निर्णित	अग्रिम से शेष बची राशि 190 को जमा न करना।	रसीद सं 3374 दिनांक

				30-08-18द्वारा वसूली कर ली गई है
16.	पैरा-16	निर्णीत	हिमाचल पथ परिवहन निगम से रियायती वाउचर प्राप्त न करना।	स्वीकृति पत्र:EDN-H(4)3(C)-02/16 -17दिनांक31-08-18 द्वारा
17.	पैरा -17	अनिर्णीत	महाविद्यालय की पत्रिका का न छपवाया जाना।	------------
18.	पैरा-18 (क,ख)	अनिर्णीत	स्टॉक/भण्डार रजिस्टर के रख-रखाब बारे।	-----------

अनिर्णीत पैरों का सार	**पैरों की संख्या**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अनिर्णीत पैरे	18
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	10
कुल पैरे	**28**
अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरे	10
अन्त शेष (दिनांक 31-3-18 तक)	**18**